कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2065 /12–1 देहरादून:दिनांक: 28 मार्च, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय:–जनपद– चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट–कफल्टा मो0मार्ग के निर्माण हेतु 3.455 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/45918/2020)

सन्दर्भ :–आपके द्वारा प्रेषित ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 18.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रचलित दरों के अनुसार आंकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–FC-11/43/2021-FC दिनांक 16. 01.2023 में निम्न विन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–
   a. In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.
   b. The provisions of of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the compentent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

   उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड़ किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्वन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

1. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।
2. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।
3. डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।
4. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को वेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।

5. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव–उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।
6. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फारफोरस प्रदान करते हैं।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निरतारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।
8. वैकल्पिक/औचित्य– प्रयोक्ता एजेंसी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फ़ाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियाँ देगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी. प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।
10. के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिहि्नत किया जाए। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग–अलग रंगों से चिहि्नत किया जाए।
11. बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्शित हो रहा है कि बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वन भूमि और गैर–वन भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग–अलग रंगों का उपयोग करके बार चार्ट अपलोड किया जाए।
12. प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। **(प्रति संलग्न)**
13. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।
14. प्रश्नगत प्रकरण में बांज वृक्षों का पातन निहित है, इस सम्वन्ध में सम्वन्धित वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का का उत्तर Parivesh Portal पर पार्ट–। एवं पार्ट–।। में यथास्थान संशोधन करने के उपरान्त पार्ट–। एवं पार्ट–।। के अतिरिक्त सूचना (Additional Information) में प्रश्न–उत्तरवार/बिन्दुवार आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ अपलोड़ करते हुये प्रकरण इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या २०८८/12–1 तद्दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :–वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को उपरोक्त विषयक के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. **प्रतिलिपि** :–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।